



कार्यालय पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन, कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-28.01.2023

थाना कपसेठी पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए दिनांक 15.01.2023 को वरुणा नदी इसरवार पुल के नीचे हत्या कर शव को फेंकने वाले अभियुक्तों को किया गिरफ्तार तथा निशानदेही पर आला कत्ल व मृतक की स्कूटी के जले हुए अवशेष बरामद

श्रीमान् पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम, एनबीडब्ल्यू की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन व अपर पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन के पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त राजातालाब के कुशल नेतृत्व में वरुणा नदी इसरवार पुल के नीचे हत्या कर फेंके गए शव के संबंध में थाना- कपसेठी पर दिनांक 22-01-2023 को पंजीकृत मु0अ0सं0 011/2023 धारा- 302/201 भा0द0वि0 के सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु थाना स्थानीय पर टीमें गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे।

इसी क्रम में विवेचना के दौरान मृतक की अंग्रेजी शराब की दुकान से प्राप्त वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस टीम द्वारा मृतक रंजीत सिंह के साथ दिखाई दिये संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश जारी थी। आज दिनांक 28-01-2023 को मुखबिर की सूचना पर हत्या की घटना को कारित करने वाले अभियुक्तगण मुन्ना राम व भगावन राम को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्तगणों ने बताया कि- “दिनांक 05.01.2023 की शाम को रंजीत सिंह हम लोगों से मिला और हम लोगों ने साथ में शराब खरीदी थी। रंजीत सिंह पहले से ही नशे में था और जब हम ब्रह्मबाबा बलुआ इसरवार पुल के पास (वरुणा नदी के किनारे) शराब पीने के लिये बैठे तो वह हम दोनों को गाली देते हुये विवाद करने लगा कि मैं ही पूरी शराब पीऊंगा। इसी विवाद में उसने ईंट चलाकर मुन्ना के सिर पर प्रहार कर दिया जिसे हम दोनों ने रोककर उसी ईंट से रंजीत सिंह के सिर पर दो-तीन बार प्रहार किये। रंजीत सिंह जब बेहोश होकर गिर गया तो हम दोनों ने उसे नदी में उठाकर फेंक दिया तथा उसकी स्कूटी को जला दिये। बचे हुए स्कूटी के टुकड़ों को कुँए में फेंक दिये थे”। थाना कपसेठी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगणों की निशानदेही पर आला कत्ल ईंट का टुकड़ा व मृतक की टोपी तथा जले हुए स्कूटी के अवशेष को बरामद कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. मुन्ना राम पुत्र लोकई राम निवासी ग्राम बनौली थाना- कपसेठी वाराणसी उम्र- 51 वर्ष
2. भगावन राम पुत्र स्व0 दुक्खी निवासी ग्राम बनौली थाना- कपसेठी वाराणसी उम्र- 38 वर्ष

आपराधिक इतिहास- अभियुक्त मुन्ना उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0- 12/2010 धारा- 8/20 NDPS एक्ट
2. मु0अ0सं0- 13/2010 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट
3. मु0अ0सं0- 25/2009 धारा- 110 जी0 CRPC
4. मु0अ0सं0- 140/2010 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट
5. मु0अ0सं0- 083/2013 धारा- 302/120बी भादवि0
6. मु0अ0सं0- 11/2023 धारा- 302/201 भादवि0

आपराधिक इतिहास- भगवन राम उपरोक्त

1. मु0अ0सं0- 11/2023 धारा- 302/201 भादवि0

बरामदगी का विवरण-

आला कल्ल ईट का टुकड़ा, मृतक की टोपी तथा मृतक की स्कूटी के जले हुए अवशेष ।

पुलिस टीम का विवरण -

1. सतीश कुमार यादव प्रभारी निरीक्षक कपसेठी जनपद कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 श्री अरविन्द यादव चौकी प्रभारी धवकलगंज थाना कपसेठी जनपद कमिश्नरेट वाराणसी ।
3. उ0नि0 श्री गौरव सिंह थाना कपसेठी कमिश्नरेट वाराणसी।
4. उ0नि0 चन्द्रभूषण थाना कपसेठी कमिश्नरेट वाराणसी।
5. हे0का0 हरिकेश यादव थाना कपसेठी कमिश्नरेट वाराणसी।
6. हे0का0 उपेन्द्र यादव थाना कपसेठी कमिश्नरेट वाराणसी।
7. का0 अमित सिंह थाना कपसेठी कमिश्नरेट वाराणसी।
8. का0 रवि प्रकाश चौरसिया थाना कपसेठी कमिश्नरेट वाराणसी।
9. का0 पंकज वर्मा थाना कपसेठी कमिश्नरेट वाराणसी।
10. का0 विक्रम कुमार थाना कपसेठी कमिश्नरेट वाराणसी ।
11. का0 अरविन्द प्रजापति थाना कपसेठी कमिश्नरेट वाराणसी।
12. हे0का0 संतोष पासवान (सर्विलांस सेल कमिश्नरेट वाराणसी)
13. का0 मनीष सिंह (सर्विलांस सेल कमिश्नरेट वाराणसी)

नोट- पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन द्वारा खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 20,000/- रुपये से पुरस्कृत किया गया।

सोशल मीडिया सेल

पुलिस उपायुक्त

गोमती ज़ोन, कमिश्नरेट वाराणसी



वरिष्ठ पुलिस अधिकारी

पदनाम - मो.नं.

1. पुलिस महानिदेशक 9454 4001
2. पुलिस आयुक्त, वाराणसी 9454 4004
3. पुलिस आयुक्त, मुख्य 9454 4004
4. पुलिस आयुक्त, उप 944004
5. पुलिस उप 1022
6. पुलिस 12
7. पुलिस 64
8. पुलिस 3
9. पुलिस 6
10. पुलिस 3